



Estd-1917

पटना विश्वविद्यालय
PATNA UNIVERSITY
NAAC Accredited B+ Grade

अधिसूचना

वित्त समिति की बैठक दिनांक 07.01.2022 के कार्यसूची FC.22.3 में लिए गए संकल्प के आलोक में, शिक्षा विभाग, बिहार सरकार, पटना के ज्ञापांक 12/प्रशिक्षण -89/2007-416 दिनांक 26.06.2015 द्वारा प्रख्यापित बी.एड. पाठ्यक्रम का शुल्क संरचना (Fee structure) को पटना विश्वविद्यालय में अगले सत्र 2022-2023 से लागू किया जायेगा। उपर्युक्त शुल्क संरचना निम्न प्रकार से है :-

- नामांकन हेतु अभ्यर्थी प्रतिवर्ष 12,000/- (बारह हजार) रूपये की राशि शुल्क के रूप में ली जायेगी। अनुसूचित जाति/जन जाति/निःशक्त अभ्यर्थियों के लिए यह राशि प्रति वर्ष 4500/- (चार हजार पाँच सौ) रूपये होगी। यह राशि विधार्थियों के मासिक भोजन एवं आवास-शुल्क को छोड़कर है। अब उपरोक्त राशि प्रत्येक वर्ष ली जायेगी, अर्थात् बी.एड. कोर्स हेतु दो बार ली जायेगी। इस प्रकार बी.एड. कोर्स हेतु कुल 24,000/- (चौबीस हजार) रूपये की राशि शुल्क के रूप में ली जायेगी। अनुसूचित जाति/जन जाति/निःशक्त अभ्यर्थियों के लिए यह राशि कुल 9000/- (नौ हजार) रूपये होगी।
- प्रत्येक वर्ष प्राचार्य, संबंधित महाविद्यालय के नाम से बैंक ड्राफ्ट के द्वारा ली जानेवाली राशि का विवरण निम्नवत् है :-

क्रम संख्या	मद	अन्य जाति	अनुसूचित जाति/जन जाति/निःशक्त
01	नामांकन शुल्क	1,200/-	300/-
02	भवन रख-रखाव	5,000/-	1,500/-
03	पुस्तकालय	1,000/-	500/-
04	खेल-कुद व्यवस्था	300/-	200/-
05	परिचय-पत्र एवं पुस्तकालय कार्य	200/-	200/-
06	प्रयोगशाला	1,500/-	500/-
07	शैक्षणिक भ्रमण	300/-	200/-
08	कौशन मनी	500/-	400/-
09	बिजली/पेय-जल	500/-	300/-
10	शिक्षण-अधिगम सामग्री	500/-	200/-
11	शिक्षण अभ्यास एवं आंतरिक मूल्यांकन	1,000/-	200/-
		12,000/-	4,500/-

- नोट :- कौशन मनी की राशि (दोनों वर्ष के लिए) एक साथ प्रवेश के समय ही ले ली जायेगी, जो परीक्षाफल प्रकाशित होने के उपरांत अभ्यर्थी को चेक के माध्यम से वापस कर दी जायेगी, वशर्त कि महाविद्यालय का कोई बकाया छात्र के पास लम्बित न हो।


Office
n.a
23/3/22

कुलपति के आदेश से,
14/3/22
कुलसचिव
पटना विश्वविद्यालय, पटना
23/3/22
कृ०पृ०उ०

ज्ञापांक/विद्वत/1482

पटना, दिनांक : 9-3-22

प्रतिलिपि :- 1. प्रधान सचिव, राज्यपाल सचिवालय, राजभवन, विहार, पटना 2. संयुक्त सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार सरकार, पटना 3. राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी, विहार राज्य उच्च शिक्षा परिषद्, बुद्ध मार्ग, पटना 4. संकायाध्यक्ष, शिक्षा संकाय, पटना विश्वविद्यालय 5. प्रधानाचार्य, वीमेन्स ट्रेनिंग कॉलेज, पटना विश्वविद्यालय 6. प्रधानाचार्य, पटना ट्रेनिंग कॉलेज, पटना विश्वविद्यालय 7. प्रधानाचार्य, पटना वीमेन्स कॉलेज, पटना विश्वविद्यालय 8. प्रशाखा पदाधिकारी (प्रभारी), बजट शाखा, पटना विश्वविद्यालय 9. प्रशाखा पदाधिकारी (प्रभारी), नामांकन शाखा, पटना विश्वविद्यालय 10. प्रशाखा पदाधिकारी (प्रभारी), विद्वत शाखा, पटना विश्वविद्यालय, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।


14/3/22
कुलसचिव

पटना विश्वविद्यालय, पटना

14/3/22

A.Sri,Acad-03-04
Mintu-11.03.2022

(1)

10. P.C